

अनुदान संख्या 101 - लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 101-PUBLIC WORKS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	1,00,00	1,90	-98,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	1117,25,00		
पूरक	<i>Supplementary</i>	27,06,00	1122,39,61	-21,91,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>	1144,31,00		3,48,17
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	1,00,00	. .	-1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>	403,30,00	346,71,78	-56,58,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			30,89,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में बचतें निम्नानुसार हुईं:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred as under:-

(I) 30.00 लाख रु. का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of Rs.30.00 lakhs remained unutilised under one head.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 68.10 लाख रु. की बचत हुई और यह स्वीकृत विनियोग का 97 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of Rs.68.10 lakhs occurred constituting 97 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2191.39 लाख रु.) दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 2706.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 81 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2191.39 lakhs) constituted 81 percent of the supplementary grants of Rs.2706.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"			
लोक निर्माण कार्य	Public Works			
मू.	O.	111725.00		
पू.	S.	2706.00	114082.83	112239.61
पु.	R.	-348.17		-1843.22

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) "सामान्य" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - निदेशन" - 11632.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 431.22 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 12063.22 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 518.09 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(खा) "प्रशिक्षण - अनुसंधान और विकास इकाई" - 54.15 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.40 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 64.55 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 12.05 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(II) "सामान्य - निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "संरचनात्मक नियोजन" - 6548.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 505.80 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त

(I) Supplementary grant obtained under "General" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Direction and Administration - Direction" - the original provision of Rs.11632.00 lakhs was augmented to Rs.12063.22 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.431.22 lakhs. However, there was a saving of Rs.518.09 lakhs (including supplementary grant);

(B) "Training - Research and Development Unit" - the original provision of Rs.54.15 lakhs was augmented to Rs.64.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.40 lakhs. However, there was a saving of Rs.12.05 lakhs (including supplementary grant); and

(II) Supplementary grant obtained under "General - Direction and Administration" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Structural Planning" - the original provision of Rs.6548.00 lakhs was augmented to Rs.7053.80 lakhs by obtaining supplementary

करके बढ़ाकर 7053.80 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 141.13 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

(खा) “वास्तुशिल्पीय नियोजन” - 2300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 309.78 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2609.78 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 122.97 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) “कार्यालय भवन” -

(क) “निर्माण - भवन” - 171.26 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध और आस्थगित न की जाने वाली मदों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) “मशीनरी और उपस्कर - नई पूर्तियां और मरम्मतें” - 103.68 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और बकायों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) “उचंत - स्टॉक” - 1028.90 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य निविदा परियोजनाओं के लिए सामग्री की कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य - अन्य व्यय - भूमि और विकास कार्यालय” - 247.63 लाख रु. की बचत (925.21 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और चिकित्सा दावों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

grant of Rs.505.80 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.141.13 lakhs.

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts.

(B) “Architectural Planning” – the original provision of Rs.2300.00 lakhs was augmented to Rs.2609.78 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.309.78 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.122.97 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Savings also occurred under the following heads:-

(A) “Office Building” –

(a) “Construction – Buildings” – saving of Rs.171.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to requirement of less funds on committed and non-deferrable items.

(b) “Machinery and Equipments – New Supplies and Repairs” – saving of Rs.103.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salary and arrears.

(c) “Suspense – Stock” – saving of Rs.1028.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to receipt of less demand of material for major tender projects.

(B) “General - Other Expenditure – Land and Development Office” – saving of Rs.247.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.925.21 lakhs) was due to requirement of less funds towards salary, medical claims and economy measures.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 71.74 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचत “अन्य व्यय - रख-रखाव और मरम्मत - मरम्मत और रख-रखाव संबंधी कार्य” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 480.03 लाख रु. का अधिक व्यय (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 100.00 लाख रु. का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

(IV) Under one head saving of Rs.71.74 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

3. The above saving were partly offset by excess under “Other Buildings - Maintenance and Repairs – Repair and Maintenance Works” – excess of Rs.480.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	37565.00		
पु.	R.	-2780.00	34785.00	32188.37
				-2596.63
मुख्य शीर्ष “4202” शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4202” Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	400.00		
पु.	R.	-350.00	50.00	49.00
				-1.00

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services			
मू.	O.	1865.00		
पु.	R.	-100.00	1765.00	1797.62 +32.62
मुख्य शीर्ष "5052" पोत परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping			
मू.	O.	500.00	641.00	636.79 -4.21
पु.	R.	141.00		

(I) 50.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.50.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4059" – savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन - निर्माण - भवन" - 403.41 लाख रु. की बचत (10400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Office Buildings – Construction - Buildings" – saving of Rs.403.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10400.00 lakhs) was due to economy measures.

(खा) "सामान्य - निर्माण" -

(B) "General –Construction" –

(क) "वित्त (राजस्व)" - 295.31 लाख रु. की बचत (14000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(a) "Finance (Revenue)" – saving of Rs.295.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14000.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing works.

(ख) "लेखा परीक्षा" - 1345.68 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Audit" – saving of Rs.1345.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs);

- (ग) "गृह कार्य" - 1253.64 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (घ) "लेखन सामग्री और मुद्रण" - 131.62 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने और संबंधित विभागों से व्यय मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (ङ) "लोक सभा" - 1189.38 लाख रु. की बचत (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोक सभा टेलीविजन चैनल से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
- (च) "खान" - 207.23 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (छ) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" - 247.17 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत नई परियोजना शुरू किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (ज) "विदेश मामले" - 148.01 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - सामान्य - भवन" के अंतर्गत 351.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "4250" - "रोजगार - भवन" के अंतर्गत 301.24 लाख रु. की बचत (1365.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

- (c) "Home Affairs" - saving of Rs.1253.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs); and

- (d) "Stationery and Printing" - saving of Rs.131.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow progress of ongoing works and non-receipt of expenditure sanctions from the Client Departments.

- (e) "Lok Sabha" - saving of Rs.1189.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs) was due to receipt of less demand from Lok Sabha Television (LSTV) Channel.

- (f) "Mines" - saving of Rs.207.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs); and

- (g) "New and Renewable Energy" - saving of Rs.247.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposal for undertaking new project.

- (h) "External Affairs" - saving of Rs.148.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to economy measures.

(III) Under Major Head "4202" - "General Education - General - Buildings" - saving of Rs.351.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "4250" - "Employment - Buildings" - saving of Rs.301.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1365.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सक्षम प्राधिकारी से कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.50 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

6. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "4250" - "श्रम - भवन" - 233.86 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" - 136.79 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संविदाकार को किए गए कार्य और चालू निर्माण कार्यों की प्रगति बनाए रखने के लिए अदायगी का समाशोधन किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sanction of some of the projects from competent authority.

(V) Under one head saving of Rs.87.50 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

6. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "4250" - "Labour - Buildings" - excess of Rs.233.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(II) Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - Buildings" - excess of Rs.136.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds to clear payment of contractors for work done and to maintain the progress of ongoing works.